न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2020 G.C.M.S. No. 2020/00065 दर्ज दिनांक : 25.06.2020

अपीलार्थिगण:

1. अमरसिंह पुत्र दानसिंह, उम्र 79 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मानसिंह पुत्र नरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं प्रार्थना अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 09.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ अदालत में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188 आर. टी. एक्ट एवं सपठित धारा 136 आर. एल. आर. एक्ट वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम नेतरा, तहसील–सुमेरपुर में स्थित गत खसरा नं. 45 रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा भूमि दिनांक 01.05.1986 को राजस्व अभियान केम्प नेतरा में वादी को आवंटन हुई एवं वादी ने सनद राशि जमा करवाई। गत खसरा नं. 45 के हाल खसरा नं. 90 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 119 रकबा 8.88 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 121 रकबा 0.84 हैक्टेयर बने। राजस्व अधिकारियों व भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया, जिस हेतु घोषणा का दावा प्रस्तुत किया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 91 रकबा 0.6450 हैक्टेयर भूमि की 10 प्रतिशत डी.एल.सी. राशि वादी के वसूल कर अमल दरामद करने के आदेश दिये है। जिस निर्णय व डिक्री से प्रार्थी व्यथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

व पीड़ित पक्षकार है। क्योंकि खसरा नं. 91 के जिस जगह वादी का कब्जा होना प्रकट किया गया है, उस भूमि पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। बल्कि उस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व उपयोग–उपभोग काफी वर्षों से चला आ रहा है, चूंकि उक्त भूमि के गत खसरा नं. 45 में 5 बीघा भूमि, किस्म बारानी तृतीय की भूमि को दिनांक 01.05.1986 को कैम्प नेतरा में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटन की गई एवं आवंटन के बाद मौके पर अपीलार्थियों को कब्जा सुपुर्द किया गया, जो आज भी कायम है। लेकिन पटवारी हल्का ने प्रार्थी की गैर मौजूदगी में बिना कोई सूचना के वादी के कहे अनुसार एकतरफा वादी का कब्जा प्रकट करने की रिपोर्ट बनाई है। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध चुनौती देने का अधिकार रखते है। जिसके रहते प्रार्थी अपनी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि वादी ने अपने वाद में खसरा नं. 45 के जो बने नये खसरा नं. 91 का रकबा वाद पत्र में जो रकबा 2.73 हैक्टेयर अंकित किया है, वह गलत है। क्योंकि खसरा नं. 91 का मूल एवं सही रकबा 2.78 हैक्टेयर है। वादी को किस भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य दावे के साथ वादी द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादी का खसरा नं. 91 के किस विशेष भाग पर कब्जा है। इस सम्बन्ध में कोई मेजरमेन्ट या नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए अपना कब्जा तथाकथित भूमि पर साबित नहीं हुआ है। पुराने खसरा नं. 45 रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा के बने नये खसरा नं. 91 में प्रार्थी को भी 5 बीघा भूमि केम्प नेतरा में आदेश दिनांक 01.05.1986 को नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटन हुई थी एवं मौके पर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया था। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की आरक्षित राशि, सनद फीस रूपये 1114/– रूपये मय ब्याज जरिये पुस्तक संख्या 77689 के रसीद संख्या 39 दिनांक 25.03.1991 को राजकोष में जमा करवा दिये। प्रार्थी का वक्त आवंटन से आज दिन तक कब्जा एवं उपयोग–उपभोग कायम है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन के समय केम्प नेतरा में ही उक्त भूमि रकबा में से अपने परिवार के अन्य सदस्य दिनेश कुमार पुत्र नरसिंहजी को रकबा 5 बीघा, अजीतसिंह पुत्र नरसिंह रकबा 2.5 बीघा, भंवरसिंह पुत्र दानसिंह को रकबा 2.5 बीघा आवंटन हुई थी, जिसकी खातेदारी घोषणा बाबत् प्रार्थी के साथ–साथ उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय (सहायक कलेक्टर, सुमेरपुर) में वाद पेश कर रखे है, जो आज भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की पत्रावली की एकतरफा सुनवाई कर रेस्पोंडेन्ट को फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, चूंकि अपीलार्थियों के आवंटन की भूमि को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है। वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी है, जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज के है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी ने जो वाद में तथ्य प्रकट किये है,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उसके अनुसार खसरा नं. 45 में तथाकथित आवंटन होना प्रकट किया है। जबकि खसरा नं. 45 से नये खसरा नं. 90, 91, 119 व 121 बने है। ऐसी स्थिति में किस नये खसरे में वादी का कब्जा है, उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये है। वादी द्वारा खसरा नं. 91 में अपनी आवंटनशुदा भूमि को बताकर अपना काल्पनिक कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज करने की मांग की है, जो किसी भी रूप से प्रमाणित नहीं है। यहां तक कि पटवारी हल्का ने वाद में जो मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है, वो भी प्रार्थी की अनुपस्थिति में केवल मात्र वादी के कहने के आधार पर अंकित की गई है। जबकि खसरा नं. 91 में प्रार्थी के साथ अन्य आवंटनशुदा व्यक्तियों का कब्जा एवं उपयोग–उपभोग कायम है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर वादी को फायदा पहुंचाने की नियत से नेशनल हाईवे की नजदीक भूमि को पटवारी हल्का की मिलीभगत से निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। वह निर्णय व डिक्री कानून के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। गत खसरा नं. 45 से बने नये खसरा नं. 91 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी उक्त भूमि के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उक्त पत्रावली में प्रस्तुत करवाकर जो सम्पूर्ण कार्यवाही हुई है, वह विधि विरूद्ध है। जिससे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है। प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि जो गत खसरा नं. 45 के बने नये खसरा नं. 91 रकया 5 बीघा भूमि पर प्रार्थी को कब्जा पटवारी हल्का द्वारा जिस जगह सुपुर्द किया गया था, उसी जगह आज भी कायम है। लेकिन पटवारी हल्का ने जानबूझकर प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि पर रेस्पोंडेन्ट का कब्जा पत्रावली के संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उसको फायदा पहुंचाने की नियत से बता दिया, जो किसी भी रूप से विधिसम्मत व न्यायोचित नहीं है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज करने योग्य है। पटवारी हल्का ने प्रार्थी को बिना सूचना दिये वादी के साथ मिलकर प्रार्थी की इस कब्जाशुदा भूमि को वादी की कब्जाशुदा बता दिया, जो गलत व अनियमित है एवं इस रिपोर्ट को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की हक व कब्जे एवं उपयोग–उपभोग की भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम अमल दरामद करवाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो सीधे तौर पर प्रार्थी के हक व अधिकारों पर कुठाराघात है, जिसे चुनौती देना प्रार्थी की मजबूरी व मौलिक अधिकार है। इस कारण प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना कानूनन न्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में प्रार्थी पक्षकार नहीं थे। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किसी प्रकार की जानकारी नहीं रही है। हाल ही में कोरोना महामारी के चलते सम्पूर्ण भारत लॉकडाउन था, जिसके रहते चौथे चरण के लॉक डाउन के दौरान वादी प्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आया और प्रार्थी को उक्त भूमि से कब्जा खाली करने हेतु दिनांक 22.06.2020 को कहा एवं यह भी कहा कि आपकी उक्त कब्जे की भूमि मेरे नाम से दर्ज करने के आदेश हो गये हैं। जिसकी प्रति बताई एवं धमकाते हुए कहा कि मौके से कब्जा खाली नहीं करोगे तो मैं पुलिस के जरिये कब्जा खाली करवाउंगा एवं अपने कब्जे में ले लूंगा। जिस पर प्रार्थी उपखण्ड कार्यालय, सुमेरपुर गये व सम्बन्धित लिपिक से प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर दिनांक 24.06.2020 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल तैयार होकर 25.06.2020 को प्राप्त हुई। उक्त निर्णय व डिक्री की नकल मिलने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी को प्रथम बार हुई। नकल प्राप्त होने व जानकारी की दिनांक से प्रार्थी की अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को माफ किये जाने हेतु एवं अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा म्याद आवेदन मय शपथ–पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 2 प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं था। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को दरकिनार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिससे प्रार्थी पीड़ित व व्यथित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 1 की आवंटनशुदा कब्जाकाश्त भूमि है। जिसमें प्रार्थी का कोई हित व हक निहित नहीं हैं एवं न ही प्रार्थी का कब्जा है। अतः अपील करने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं हैं।

3. हमारे विनम्र मत में इस स्तर पर प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना उभयपक्ष को सुना जाना नैसर्गिक अधिकार के तहत आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना विधिसम्मत व उचित होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 25.06.2020 को विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं एवं साथ ही कोरोना महामारी के चलते अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22.06.2020 को रेस्पोंडेंट द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को धमकाते हुए मौके से कब्जा खाली करने की धमकी देने से हुई। तत्पश्चात नकल आदि तैयार कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकार नहीं हैं। अतः निर्णय व डिक्री की दिनांक से ही इसकी जानकारी होना अपेक्षित नहीं हैं साथ ही उक्त कालावधि कोविड–19 महामारी से प्रभावित रही हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

6. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलाधीन ग्राम नेतरा के पुराना खसरा संख्या 45 के नवीन खसरा संख्या 91 पर वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 का कब्जाकाश्त नहीं हैं तथा न ही वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी अपीलांट का उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। जिसे दरकिनार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं, जो काबिल अपास्त है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01.05.1986 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 को ग्राम नेतरा के गत खसरा संख्या 45 हाल खसरा संख्या 91 में से 5 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई। उक्त आवंटन आदेश किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त नहीं किया गया तथा भूप्रबंध पश्चात खसरा संख्या परिवर्तन होने से आवंटी का नाम भू–अभिलेख में अमलदरामद नहीं हुआ। जिस पर आवंटी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर विवाद्यक कायम किए जाकर बाद साक्ष्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा प्रकरण में कब्जाकाश्त की जांच हेतु भू.अ.नि. व संबंधित पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार आवंटी का मौके पर कुल 0.6450 हैक्टेयर भूमि पर कब्जाकाश्त पाया गया तथा खसरा परिवर्तनशील पी–14 अनुसार भी वादी आवंटी का इसी अनुरूप कब्जाकाश्त चला आना रिपोर्ट में अंकित है। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा आवंटी को आवंटित कुल रकबा 5 बीघा के स्थान पर वास्तविक कब्जा व उपभोग रकबा के अनुरूप 5 बीघा से कम अर्थात कुल 0.6450 हैक्टेयर भूमि आवंटी के नाम बतौर गैर खातेदारी अमलदरामद किए जाने की घोषणा पारित की गई। वादग्रस्त आराजीयात के अद्यतन भू–अभिलेख व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान भी किए जा चुके हैं तथा आवंटी वर्तमान में बतौर खातेदार दर्ज है।

8. अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हों कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त हों। चूंकि अपीलाधीन आराजी अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि है तथा अद्यतन भू–अभिलेख अनुसार संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटी रेस्पोंडेंट संख्या 1 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं तथा आवंटी वर्तमान में बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश निरस्ती बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अतः अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली